भारत में ईवीएम मशीन के माध्यम से हो रहा लोकतंत्र को नुकसान

अम्बेडकर चौक पर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का धरना प्रदर्शन

जबलपुर (आरएनएन)। भारत में ईवीएम मशीन के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके चलते विद्यार्थियों के अधिकारों और बौद्ध विरासत का लगातार खत्मा हो रहा है। ये विचार वक्ताओं ने गुरुवार को अम्बेडकर चौक पर आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान रखे एवं लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए ईवीएम मशीन से चुनावों को प्रतिबंधित करने की मांग की।

भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं बुद्धिस्ट इंटरनेशन नेटवर्क के संयुक्त धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब तक भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव होंगे तब तक पेपर लीक, शिक्षा का बाजारीकरण , नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का भ्रष्टाचार, लगातार ओबीसी एसी, एसटी वर्ग की आरक्षित श्रेणी के सीटों का घटाना के साथ साथ सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84000 बौद्ध विहारों को नष्ट करना, नागपुर की दीक्षा भूमि को 80 एकड से घटा कर 14 एकड़ करना, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बौद्ध विरासतों को सही तरह से संरक्षण न करना और देश के आंदोलनकारी किसान, विद्यार्थियों को अपमानित करते हुए अत्याचार जैसी घटनाएं होती रहेंगी। आंदोलन में मुख्य रूप से इंजी प्रवीण गजभिए, प्रशांत पटेल, रामराज पटेल, सुधीर नांदेकर, चंद्रशेखर, राहुल बौद्ध, विनय भगत, रमन पटेल, डॉ. विनोद पटेल, लक्ष्मी नारायण पटेल, अनिल वंशकार, बैजनाथ कुशवाहा, मेंहदी हसन, रईस खान, मायादेवी कुशवाहा, पुरुषोत्तम डामोर आदि उपस्थित थे।

संत अलॉयसियस कॉलेज में तुलसीदास जयंती पर अतिथि व्याख्यान आयोजित

तात्कालीन समाज के लोकनायक एवं युग प्रवर्तक थे तुलसीदासः डॉ. तिवारी

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

संत गोस्वामी तुलसीदास तात्कालीन समाज के समन्वयकर्ता, लोकनायक एवं युग प्रवर्तक थे। उनकी शिक्षाएं वर्तमान परिवेश में भी अत्यंत उपयोगी, प्रासंगिक और अनुकरणीय हैं। ये बात शासकीय एसएसजी कॉलेज सिहोरा के हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण तिवारी ने संत अलॉयसियस कॉलेज में गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर आयोजित अतिथि व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में कही।

कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा सिहोरा कॉलेज के साथ हुए अनुबंध (एमओयू.)के अंतर्गत आयोजित अतिथि व्याख्यान में डॉ. तिवारी ने संत गोस्वामी तुलसीदास के जीवन दर्शन और सामाजिक चेतना को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. फा. जे. बेन एंटोनरोस के मार्गदर्शन और नेतृत्व में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसके आयोजन में डॉ. कैरोलिन सैनी, डॉ. रामेंद्र प्रसाद ओझा, डॉ. रीना थॉमस एवं डॉ. अभिलाषा शुक्ला का विशेष योगदान रहा।

शासकीय एमकेबी कॉलेज में कार्यक्रमों के बीच मनाई तुलसीदास जयंती

जबलपुर। शासकीय मानकुंवरबाई महिला कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. सुनीता मिश्रा की अध्यक्षता एवं विभागाध्यक्ष प्रो. नीना उपाध्याय की निर्देशन में संपन्न हुए। इसमें निबंध प्रतियोगिता शीर्षक– तुलसीदास के काव्य में समाज सुधार की चेतना, भाषण प्रतियोगिता तुलसी साहित्य में सामाजिक समरसता के शीर्षक पर आयोजित हुई। वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. मनोज प्रियदर्शन, प्रो. सपना चौहान, डॉ. इंद्रसिंह वरकडे द्वारा महाकवि तुलसीदास एवं उनकी भक्ति को अनुकरणीय बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए गए। संचालन डॉ. बलीराम अहिरवार ने किया। इस अवसर पर हिमांशु सिंह एवं अंजली चौबे सहित सभी छात्राओं की मौजूदगी रही।

आईएएसई में संगीतमय रामचरितमानस

जबलपुर। प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (आईएएसई) में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का जन्मदिन गरिमामय, उल्लासपूर्ण एवं भक्तिभाव से परिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। आयोजन में प्राध्यापकों ने मंच पर बैठकर पारंपरिक वाद्ययंत्रों—हारमोनियम, ढोलक और खंजड़ी—की मधुर धुनों पर तुलसीकृत रामचरितमानस का संगीतमय वाचन किया। कार्यक्रम में प्राध्यापकों एवं छात्राध्यापकों ने तुलसी साहित्य और उनके जीवन दर्शन को याद किया। संस्थान की प्राचार्या एफ. इक्काकी मौजूदगी में प्रो. पीके. श्रीवास्तव ने संत तुलसीदास के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रो. संजीव अग्रवाल, डॉ.विनीत चौहान ज्योत्सना दुबे, डॉ. आर. एन. पटेल, अल्पना खरे, ललिता सपरा, विनोद कुमार घोषी आदि उपस्थित थे।

शासकीय होम साइंस महिला कॉलेज में तुलसी जयंती समारोह आयोजित

जबलपुर। शासकीय होमसाइंस महिला कॉलेज में गुरुवार को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातकोत्तर गृहविज्ञान पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि आईएएस मनोज कुमार श्रीवास्तव, सारस्वत अतिथि शिक्षाविद् डॉ. हरिशंकर दुबे, मप्र लोक सेवा आयोग एवं पूर्व अध्यक्ष प्रो. एस.पी. गौतम एवं प्राचार्य डॉ. समीर कुमार शुक्ल ने संत तुलसीदास पर अपने विचार रखे।

चलती ट्रेन में महिला को हुई प्रसव पीड़ा, जबलपुर में मिला इलाज

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

गुरुवार को वार रूम रेल मदद 139 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी संख्या 11033 के कोच एस-3 में सीट संख्या 31 पर यात्रा कर रही एक महिला को तेज प्रसव पीड़ा हो रही है। सूचना मिलते ही जबलपुर मंडल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) आशीष चड्ढा ने अनन्या क्लिनिक के स्टाफ अतुल राव से संपर्क कर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।

पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा महिला की चिकित्सकीय जांच की गई। जांच के उपरांत महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेलवे एंबुलेंस की सहायता से महिला को रानी दुर्गावती अस्पताल, जबलपुर भेजा गया, जहां उसे आवश्यक चिकित्सा उपचार हेतु भर्ती कराया गया।

महिला की पहचान सविता (उम्र 24 वर्ष) के रूप में हुई है। वह अपने पति के साथ लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दरभंगा की यात्रा कर रही थीं। इस त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के लिए महिला के परिजनों ने जबलपुर मंडल के रेलवे कर्मचारियों की तत्परता, समर्पण एवं मानवीय संवेदनशीलता की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

तीन प्रतिष्ठानों पर ढाई हजार का जुर्माना

पनागर में खाद्य सामग्री के प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की गई

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशा पर राजस्व विभाग एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा गुरुवार को पनागर स्थित खाद्य सामग्री के विक्रय प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की। इस दौरान तीन प्रतिष्ठानों से कुल ढाई हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया तथा परीक्षण हेतु खाद्य सामग्री के सेम्पल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार दूषित एवं मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय को रोकने चलाये जा रहे अभियान के तहत राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने गुरूवार को पनागर स्थित मनोज स्वीट एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया तथा स्टोर एवं किचन में गंदगी पाए जाने पर 1 हजार जुर्माना जमा कराया गया। मनोज स्वीट एवं रेस्टोरेंट से स्टोर में संग्रह कर रखे हुए खोवा एवं नमकीन मिक्चर, बर्फी, कलाकंद, पेड़ा एवं मलाई रोल के सैंपल भी जांच हेतु लिए गए।

बीकानेर स्वीट से भी सैंपल लिए गए

इसी प्रकार जैन स्वीट से खोवा के दो सैंपल लिए गए तथा स्टोर में गंदगी पाए जाने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना जमा कराया गया। आकस्मिक जांच अभियान के तहत बीकानेर स्वीट से भी खोवा और कलाकंद के सैंपल लिए गये तथा लाइसेंस की शर्तो के उल्लंघन पर 500 जुर्माना जमा कराया गया।

धर्म, अध्यात्म का ज्ञान बचपन में दिया जाना चाहिए : नरेंद्र

● कटंगी / राज न्यूज नेटवर्क

श्री जानकीरमण मंदिर कटंगी में आयोजित श्रीमद्भागवत पुराण कथा के तीसरे दिन भक्त प्रहलाद प्रसंग का बखान किया गया। इसमें कथा व्यास नरेंद्र महाराज ने कहा कि भक्त प्रहलाद ने माता कयाधु के गर्भ में ही नारायण नाम का मंत्र सुना था। जिसके सुनने मात्र से भक्त प्रहलाद के कई कष्ट दूर हो गए थे। कथा का आगाज गुरु वंदना के साथ किया गया। इसके उपरांत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को धर्म का ज्ञान बचपन में दिया जाता है, वह जीवन भर उसका ही स्मरण करता है। ऐसे में बच्चों को धर्म व आध्यात्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे नजर आए। इस अवसर पर मनीष भूषण, नरसिंहपीठाधीश्वर नरसिंह दास, प्रहलाद दास, पवन दास, पुजारी हरिशंकर सहित संतगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

महाकाल कांवड़ यात्रा का शारदा मंदिर बरेला में हुआ स्वागत

कुड़ारी। ग्राम पंचायत पहाड़ीखेड़ा के नव युवकों के द्वारा भव्य महाकाल कांवड़ यात्रा मां नर्मदा तट गौरीघाट से पहाड़ी खेड़ा शिव मंदिर तक निकाली गई। कांवडिये़ जैसे ही बम भोले के जयकारे लगाते हुए शारदा मंदिर बरेला पहुंचे, सरपंच आशीष शुक्ला के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांवडिये़ं को चाय एवं स्वल्पाहार कराकर यात्रा को आगे की ओर रवाना किया। यात्रा में पहाड़ीखेड़ा सरपंच सन्तोष पटेल, सौरभ पटेल, रोहित पटेल, सचिन, रामलस, जितेंद्र, अमित, मुन्नु, संजय, दिलीप के सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

निगम ने बाजार क्षेत्रों में गंदगी व अवैध अतिक्रमण करने वालों पर की कार्रवाई

20 चालान कटे, हजारों का स्पॉट फाइन

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और स्वच्छता को गति देने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग एवं अतिक्रमण विभाग की संयुक्त टीम ने संभाग क्रमांक 13 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में सघन निरीक्षण कर कार्रवाई की। यह संयुक्त अभियान बस स्टैंड, तीन पत्ती चौक, मालवीय चौक और सिविक सेंटर जैसे व्यस्ततम सार्वजनिक स्थलों पर चलाया गया।

टीम ने फु टपाथों और मुख्य मार्गो पर अतिक्रमण हटाने के साथ.साथ सडक़ किनारे कचरा फैलाने वाले दुकानदारों व व्यापारियों के खिलाफ मौके पर ही 20 चालान काटे गए और 12000 रूपये का स्पॉट फ इन तथा जब्ती की कार्रवाई की। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण प्रभारी कृष्णकांत रावत, अखिलेश भदौरिया, दीपेंद्र रावत, किशन दुबे, अभिषेक विश्वारी, अतिक्रमण दल प्रभारी जे प्रवीण, दुर्गा एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन आदि उपस्थित रहे। निगम प्रशासन ने शहरवासियों और व्यापारियों से अपील की है कि वे सडक़ों और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखें तथा फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखकर शहर के विकास में सहयोग दें।

शहर को स्वच्छ और यातायात सुगम बनाने निगम की कार्रवाई तेज

GRIHUM HOUSING FINANCE Apna Ghar. Apni Pehchan.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः छठा तल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014 शाखा कार्यालय इकाईः द्वितीय तल, श्री सदन, सुनका चौराहा, राम वार्ड, कंदेली, नरसिंहपुर – 487001. मध्य प्रदेश

ई–नीलामी – बिक्री सूचना सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्तियों का बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर(यों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे ''सुरक्षित लेनदार'' कहा जाएगा) को गिरवी रखी गई हैं, जिसका कब्जा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसरण में सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियाँ **''जहाँ है जैसी है'', ''जैसी है वैसी है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर 19–06–2026** को ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएँगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम https://www.bankeauctions.com वेबसाइट पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं।

बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ देखें।

सं. क्रं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण का दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तिथि और समय {जे}	ज्ञात भार/न्यायालयीन मामले, यदि कोई हों (के)
1	लोन नंबर LAP01832000000005044865 सतीश कुमार अग्रवाल (कर्जदार) आरती अग्रवाल (सह–कर्जदार)	नोटिस की तारीखः 10–09–2025 कुल बकायाः रू. 2362122/– (रुपये तेईस लाख बांसठ एक सौ बाईस सिर्फ) 10–09–2025 तक देय है, साथ ही वसूली होने तक 14.85% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।	भौतिक	घर का वह सारा भाग : आउट ऑफ आबादी खं. नंबर 342/4/2 ग्राम रामपुरा एन.बी. नं. 399 पी.एच. नं. 04 तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश कुल प्लॉट एरिया 2400 वर्ग फीट और **मकान की सीमा** पूर्व में हरि बाई धानक का मकान पश्चिम में श्री राजेश नारोलिया का मकान उत्तर में श्री अंशुल दुबे का मकान दक्षिण में एन.एच.12 रोड माप क्षेत्रः– कुल प्लॉट एरिया 2400 वर्ग फीट	रू. 3104500.00/– (रुपये इकतीस लाख चार हजार पांच सौ मात्र)	रू. 310450.00/– (रुपये तीन दस हजार चार सौ पचास मात्र)	21-09-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	16-09-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	22-09-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों पर जाएँ, अपनी स्वयं की जाँच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तृतीय–पक्ष के हितों का पता लगाएँ और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं संतुष्ट हो लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े अन्य सभी बकाया, यदि कोई हों, जैसे सभी वैधानिक बकाया, सफल बोलीदाता द्वारा पता लगाकर चुकाए जाने चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) पता– प्लॉट संख्या–68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा–122003। हेल्पलाइन नंबर–7291981124,25,26 सहायता ईमेल आईडी–Support@bankeauctions.com, **संपर्क व्यक्ति–धरणी पी, ईमेल आईडी–dharni.p@c1india.com संपर्क नंबर–9948182222** से लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो ई–बोली के लिए अनिवार्य है, पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता तभी से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस ''गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड–नीलामी आय खाता,'' बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या–091551000028 और आईएफएससी कोड– ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44, विमन नगर–411014 के खाते में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से **21–09–2026** से पहले जमा करें और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई–नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां ई–मेल पर अपलोड करवानी होंगी और स्व–सत्यापित हार्ड कॉपी पते पर भेजनी होंगीः **पताः द्वितीय तल, श्री सदन, सुनका चौराहा, राम वार्ड, कंदेली, नरसिंहपुर – 487001. मध्य प्रदेश मोबाइल नंबर +91 8281138143 ई–मेल आईडी p.adith@grihumhousing.com** नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई–नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएँ।

इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को 30 (तीस) दिन का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर है, तो फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

दिनांकः 21.08.2026 स्थानः नरसिंहपुर (म.प्र.) — **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India Undertaking

आस्ति वसूली शाखा, जबलपुर

प्रथम तल, 43, किंग्स्वे स्ट्रीट, सदर कैंट जबलपुर - 482001 (म.प्र.)

मो.- 9326079130 ई-मेल: arb.jabalpur@unionbankofindia.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विषेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता हैं की नीचे वर्णित अचल संपत्तियों जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संबंधित शाखा के पास प्रभारित है उक्त संपत्तियों को "जहां है जैसा है" और "जो कुंछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित दिनांक पर दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित संबंधित ऋणियों एवं प्रतिभूति दाताओं से निम्नलिखित बाकाया धन राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि तथा अन्य विस्तृत की जानकारी निम्नानुसार है।

क्र.	ऋणी/जमानतदार एवं शाखा का नाम	संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (रू.)	आरक्षित मुल्य / धरोहर राशि / बिड़ वृद्धि राशि	सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नं.	नीलामी की तिथी
1.	1. मेसर्स नीरज मोटर्स, इसके मालिक नीरज पॉल के माध्यम से पता- आर-23, ग्रीन हाइट्स, ऑरा मॉल के पीछे, गुलमोहर, त्रिलंगा, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462039 2. श्री नीरज पॉल, पुत्र श्री सत्य पॉल पता- बी-2, प्रोफेसर कॉलोनी, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462002 साथ ही पता- प्लॉट संख्या-07, दमोह बाईपास चौक, पेट्रोल पंप के सामने, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482001 साथ ही पता- मकान संख्या-475, गुप्तेश्वर वार्ड, राम मंदिर के पास, डाकघर प्रेम नगर, बेलखाडू, जबलपुर, एमपी-482001 3. श्री आनंद त्रिपाठी पुत्र श्री नारायण त्रिपाठी पता - 13, रीवा मार्ग, मैहर, जिला- सतना, एमपी-485771 साथ ही पता- कटिया कला, एनएच-07, रेवा रोड, मैहर, जिला-सतना, एमपी- 485771	मौजा कच्चधारी हल्का चिंदारी, पीएच नंबर 05, खसरा नंबर 137, 140, 192, बरही, विकास खंड बड़वारा, तहसील बरही, जिला-कटनी, एमपी में स्थित प्लॉट का वह पूरा हिस्सा और पार्सल, लगभग 750244.50 वर्ग फुट, श्री आनंद त्रिपाठी पुत्र श्री नारायण त्रिपाठी के नाम पर। 1. खसरा नं. 137 की सीमाएँ:- उत्तर- खसरा नं. 136,135,125, दक्षिण- ग्राम बघैया की सीमा, पूर्व- सड़क, पश्चिम- ग्राम बघैया की सीमा 2. खसरा नंबर 140 की सीमाएं:- उत्तर- खसरा नंबर 141, दक्षिण- खसरा नंबर 163, पूर्व- खसरा नंबर 147, 148, पश्चिम- सड़क 3. खसरा नंबर 192 की सीमाएं:- उत्तर- खसरा नंबर 246, 245, दक्षिण- खसरा नंबर 191, पूर्व- खसरा नंबर 193, पश्चिम- खसरा नंबर 156	Rs. 1,65,24,873.62 with further Interest, cost & expenses	Rs. 88,75,000/- / Rs. 8,87,500/- / Rs. 88,750/-	Lavleesh Kumar 8800615258	10-09-2026
2.	उधारकर्ता: मेसर्स प्रतीक इंडस्ट्रीज मालिक- श्री प्रखर स्थापक पुत्र- श्री चंद्र कुमार स्थापक एटी-पिथेहरा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर, म.प्र.-487551 गारंटर: अ) श्रीमती मीना स्थापक पत्नी- श्री चंद्र कुमार स्थापक एटी-पिथेहरा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर, म.प्र.-487551 ब) श्रीमती अंजू दुबे पत्नी- श्री रविकांत दुबे एटी- पाटई, तहसील-उदयपुरा, जिला-रायसेन, म.प्र.-464770 स) श्री रविकांत दुबे पुत्र- श्री रमेश कुमार दुबे एटी- पाटई, तहसील-उदयपुरा, जिला-रायसेन, म.प्र.-464770 ग) श्री सजल दुबे पुत्र- श्री प्रदीप कुमार दुबे एटी- फ्लैट नंबर 102 सांवरिया पार्क इंदौर, बड़ी ग्वालटोली (सेवा सरदार नगर), ग्राम- पिपल्याहाना तहसील एवं जिला- इंदौर, म.प्र.- 452018 घ) श्रीमती कुसुम बाई श्रीवास पत्नी- श्री मुन्ना लाल श्रीवास एटी- राजेंद्र बाबू वार्ड गाडरवारा, तहसील- गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर, म.प्र- 487551	बेची जाने वाली अचल सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: 1) श्रीमती मीना स्थापक, पत्नी- श्री चंद्र कुमार स्थापक के नाम पर वाणिज्यिक रूप से हस्तांतरित भूमि, क्र.सं. 259, पीएच नंबर 98, खसरा नंबर 60/3 मौजा पिथेहरा, तहसील- गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर, म.प्र. में स्थित है। भूमि का कुल क्षेत्रफल- 2.047 हेक्टेयर (5.05 एकड़)। ऋणपुस्तिका क्रमांक एल/डी-929168 संपत्ति की सीमाएँ: उत्तर- खुर्सीपार- गाडरवारा रोड, दक्षिण- श्री प्रखर स्थापक की भूमि, पूर्व- खुर्सीपार- गाडरवारा रोड, पश्चिम- श्री प्रखर स्थापक की भूमि	Rs. 19,42,29,260.34/- with further Interest, cost & expenses	Rs. 91,53,000/- / Rs. 9,15,300/- / Rs. 91,530/-	Shashi Prakash 9326079130	10-09-2026
		2) 2) श्री प्रखर स्थापक (पिता: श्री चंद्र कुमार स्थापक) के नाम पर औद्योगिक उपयोग के लिए बदली गई ज़मीन और उस पर बनी बिल्डिंग (जिसमें शेड और मशीनरी भी शामिल हैं)। यह प्रॉपर्टी मौज़ा पिथेहरा, तहसील- गाडरवारा, ज़िला- नरसिंहपुर, M.P. में S.No. 259, PH No. 98, खसरा No. 60/1 पर स्थित है। ज़मीन का कुल एरिया- 1.766 हेक्टेयर (4.36 एकड़) है। ऋणपुस्तिका No. L/C-737269 प्रॉपर्टी की सीमाएँ: उत्तर- सरकारी सड़क, दक्षिण- श्री विश्वनाथ स्थापक की ज़मीन, पूर्व- श्रीमती मीना स्थापक की ज़मीन, पश्चिम- श्री प्रदीप स्थापक की ज़मीन (ज़मीन और बिल्डिंग - ₹2,28,65,000/- और प्लांट और मशीनरी - ₹4,52,00,000/-)	Rs. 19,42,29,260.34/- with further Interest, cost & expenses	Rs. 6,80,65,000/- / Rs. 68,06,500/- / Rs. 6,80,650/-	Shashi Prakash 9326079130	10-09-2026
		3) श्रीमती कुसुम बाई श्रीवास, पत्नी श्री मुन्ना लाल श्रीवास के नाम पर स्थित भूमि और भवन, जो राजेंद्रबाबू वार्ड, पीडब्लू डी विश्राम गृह के पास, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका खसरा क्रमांक 7/41 और पीएच क्रमांक 42/02 है। भूमि का कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है (भू-मंजिल पर निर्मित क्षेत्रफल 1440 वर्ग फुट, प्रथम मंजिल पर 1296 वर्ग फुट और द्वितीय मंजिल पर 300 वर्ग फुट है)। कुसुम बाई श्रीवास और नरेश कुमार (विक्रेता) के बीच हुए विक्रय विलेख के अनुसार संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - श्री मोहनलाल का भूखंड, दक्षिण - विक्रेता की भूमि, पूर्व - विक्रेता की भूमि, पश्चिम - 10 फुट चौड़ी सड़क।	Rs. 19,42,29,260.34/- with further Interest, cost & expenses	Rs. 31,80,000/- / Rs. 3,18,000/- / Rs. 31,800/-	Shashi Prakash 9326079130	10-09-2026
3.	उधारकर्ता: मेसर्स जीबी गारमेंट्स मालिक के माध्यम से: मोहम्मद. जावेद उस्मानई पुत्र मोहम्मद रऊफ उस्मानी पता: नॉर्थ मिलोनीगंज, मेन रोड, गोहलपुर, जबलपुर जिला-जबलपुर, एम.पी.- 482002	राजीव गांधी वार्ड, गोहलपुर, जबलपुर में स्थित मोहम्मद जावेद उस्मानी के नाम पर भूमि और भवन, नजूल ब्लॉक नंबर 21, पुराने प्लॉट नंबर 27 का हिस्सा, म्यूटेशन के बाद नया खसरा नंबर 27/9, माप 1512.25 वर्ग फुट। रजिस्ट्री के अनुसार सीमाएं: पूर्व: धोभी का प्लॉट, पश्चिम: दूसरों की संपत्ति, उत्तर: हबीबा का प्लॉट, दक्षिण: साइड रोड	Rs. 48,36,381.53/- with further Interest, cost & expenses	Rs. 18,22,000/- / Rs. 1,82,200/- / Rs. 18,220/-	Shashi Prakash 9326079130	10-09-2026
4.	उधारकर्ता: श्री अखिल कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता गारंटर- श्री अमित कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता दोनों निवासी मकान नंबर 302, वार्ड नंबर 23, अमहैया, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा, एमपी- 486001	खसरा संख्या 95/1 पर स्थित समस्त भूमि एवं भवन, जिसका क्षेत्रफल 0.037 हेक्टेयर (4,000 वर्ग फुट) से लेकर आंशिक क्षेत्रफल 1540 वर्ग फुट तक है, वार्ड संख्या 43, चिरहुला, तहसील- हुज़ूर, जिला- रीवा, मध्य प्रदेश, अखिल कुमार गुप्ता के नाम पर। सीमाएँ: उत्तर: सड़क, दक्षिण: पंडित जी का मकान, पूर्व: उमा देवी की भूमि, पश्चिम: सड़क	Rs. 41,67,265.58 with further Interest, cost & expenses	Rs. 39,10,000/- / Rs. 3,91,000/- / Rs. 39,100/-	Rahul Uttam 8800615258	10-09-2026

विक्रय से संबंधित और शर्तों के ब्यौरे के लिए वेबसाईट https://baanknet.com and https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auction-property.aspx

स्थान: **जबलपुर** दिनांक: **21.08.2026**

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: श्री शशि प्रकाश - 9326079130

प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया